(26) AC/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर(राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 21/2019

1– सांभर साल्ट लिमिटेड जरिये महाप्रबन्धक (कार्य) सांभर साल्ट लि0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

.....अपीलान्ट

बनाम

1– तहसीलदार नावां, तहसील नावां जिला नागौर राज0।

2– नवरंगलाल पुत्र रामअवतार जाति अग्रवाल

3–गोपाल लाल पुत्र नंदलाल मोर जाति महाजन

4–जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र जयन्ति प्रसाद जाति ब्राहमण

समस्त निवासी नांवा तहसील नांवा जिला नागौर राजस्थान ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री मुकेश कुमार अजमेरा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 25.02.2019 न्यायालय तहसीलदार, नांवा प्रकरण संख्या 6/2018 बअनुवान पटवारी हल्का नावां बनाम नवरंग वगैरह, अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक:29.10.2021

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार नावां के प्रकरण सं0 6/2018 बअनुवान सरकार बनाम नवरंग वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.2.2019 के विरूद्ध पेश किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(27) A 6/2

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नावां ने अपीलान्ट/अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नावां को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नम्बर 1782 रकबा 17.00 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन समन्द पर नमक क्यार, व टयूबवैल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जो कि सरकार की (गै.मु.समन्द) की भूमि है। इसलिए अप्रार्थी को बेदखल किया जावे तथा कानूनी कार्यवाही की जावें।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पटवारी हल्का नावां की जांच रिपोर्ट खसरा परिवर्तनशील अनुसार अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत तलब किया गया । अप्रार्थीगण का नोटिस चस्पा से तामील होकर प्राप्त हुऐ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा ग्राम नावां के खसरा नम्बर 1782 रकबा 17.00 हैक्टेयर किस्म गै.मु.समन्द की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना जाकर मौजा ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 1782 रकबा 17.00 हैक्टेयर किस्म गै.मु.समन्द की भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं संवत 2074 की वार्षिक लगान दर 68.00 का 50 गुणा से जुर्माना रूपये 3400/– अक्षरे तीन हजार चार सौ रूपये कायम किया गया व पटवारी हल्का को अपीलान्ट के विरूद्ध जुर्माना वसूली हेतु एवं भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(28) A 6/3

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील मय धारा 105 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 25.03.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 01.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 29.5.2021 को शामिल मिसल किया।

{3} – अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है:–

{3}(1)– अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां ने प0ह0 नावां की अपूर्ण व अस्पष्ट रिपोर्ट पर अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 25.0.19 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 जो कि अपीलान्ट ने सर्विस कोन्ट्रेक्टर है के विरूद्ध निर्णय पारित कर अपीलान्ट के आधिपत्य ,स्वामित्व व कब्जे की भूमि से बेदखल कराने व जुर्माना वसूल करने के आदेश पारित किये जो कतई न्यायोचित नहीं है और विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{3}(2)– यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 1790 ग्राम नावां की भूमि को सिवायचक बताते हुये कम्पनी की सर्विस कोन्ट्रेक्टर रेस्पोडेन्ट सं02 के विरूद्ध 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी जबकी उक्त आराजी खसरा नम्बर की भूमि अपीलान्ट की आधिपत्य, स्वामित्व व कब्जे की भूमि है जिस पर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(29) A 6/4

कम्पनी द्वारा वर्ष 1961 से लगातार, निर्बाध रूप से नमक उत्पादन व उससे संबंधित गतिविधियां की जा रही है तथा उक्त खसरे की भूमि पर रियासत काल से लगातार नमक उत्पादन का कार्य सम्पादित किया जा रहा है तथा उक्त खसरे की भूमि सांभर झील की अभिन्न भूमि है।

{3}(3)–यह है कि गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सॉभर साल्टस लिमिटेड भारत सरकार व राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी की कम्पनी हे। जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार व 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी निहित है। ऐसी परिस्थिति सॉभर साल्ट लिमिटेड भरत सरकार व राजस्थान सरकार की सयुक्त भागीदारी की कम्पनी है तथा तहसीलदार स्वयं सरकारी कम्पनी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट. व अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है।

{3}(3)– अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नवरंगलाल पुत्र रामअवतार ने अपना जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेनट सं02 को नमक उत्पादन करने के लिए अपीलान्ट कम्पनी ने उक्त भूमि जरिये टेण्डर दी है तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 नियमानुसार व टेण्डर के आधार पर सांभर साल्ट के लिए उक्त भूमि पर नमक उत्पादन कर रहे है दिनांक 18.11.2019 की पटवारी रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि जरिये टेण्डर रेस्पोडेन्ट सं0 2 को नमक उत्पादन करने के लिए सांभर साल्ट लि0 ने दी है। उक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाने के बावजूद प्रकरण में सांभर साल्ट लि0 ने सर्विस कोन्ट्रेक्टर रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। जो निर्णय खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{4}– उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील मय धारा 105 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 25.03.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 01.04.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 29.5.2021 को शामिल मिसल किया।

{5}–अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

{6}– प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में यह अपील अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के मु0सं0 7/2018 निर्णय दिनांक 25.2.2019 के विरुद्ध पेश की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से अपील इस न्यायालय में पेश करने की अवधि एक माह की होती है। अपील अपीलान्ट ने इस न्यायालय में दिनांक 25.3.19 को प्रस्तुत कर दी गयी। जो अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

{7}–वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है जो निम्न है:–

{7}(1)–यह है सांभर झील का कुल क्षैत्रफल 90 वर्गमील है अर्थात 233.10 वर्ग किलोमीटर है। खसरा नम्बर 302, 622, 996 किता तीन कुल रकबा 6620 बीघा 19बिस्वा है जो ग्राम नांवा में स्थित है जो सॉभर झील की अभिन्न भूमि है। उक्त सम्पूर्ण भूमि है। उक्त सम्पूर्ण भूमि केन्द्र सरकार जरिये हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/ साभॅर साल्टस लिमिटेड की स्वामित्व व अधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि पर बिट्रिस समय के पूर्व से ही नमक उतपादन का कार्य किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(31) A 6/6

जाता रहा है। बिट्रिस ने अपने समय में नमक उत्पादन करने के लिए पक्के क्यार, कैनाल, आफिस, रेल लाईन नेरोगेज व मीटरगेज, कुवें, विधुत लाईन इत्यादि का निर्माण करवाया था। तब से ही उक्त संरचनाएँ बनी हुई हैं तथा वर्तमान में अपीलान्ट कम्पनी द्वारा उक्त संरचनाओं का उपयोग उपभोग कर भारत वर्ष की आम जनता के लिए नमक उत्पादन का कार्य कर रहीं है।

{7}(2) –यह है कि कम्पनी द्वारा भारत की आम जनता को उच्च क्वालिटी व पूर्ण शुद्ध नमक उपलब्ध करवाने हेतु रिफाईनरी का निर्माण किया है। माननीय तहसीलदार साहब नांवा द्वारा बिट्रिश समय से बने क्यार व भारत सरकार व राज्य सरकार के संकल्प से बनी उक्त रिफाईनरी को अतिक्रमण मानते हुए बिना कम्पनी का पक्ष सुने हटाना चाहते है। जबकि उक्त सम्पूर्ण झील की भूमि केन्द्र सरकार जरिये हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/ साभॅर साल्टस लिमिटेड की भूमि है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति के निर्णयनुसार दिनांक 13.10.1959 को पत्र जारी कर सम्पूर्ण सॉभर झील व नमक कार्य के स्वामित्व व प्रबन्धन को हिन्दुस्तान लिमिटेड को हस्तांतरण कर दिया था। तब से हिन्दूस्तान लिमिटेड/सॉभर साल्टस लिमिटेड का सम्पूर्ण झील का स्वामित्व व प्रबन्धन कम्पनी के पास है तथा नमक उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।

{7}(3) – यह है कि वर्ष 1961 में सम्पूर्ण झील के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया । जिसके तहत 99 वर्ष तक केन्द्र सरकार द्वारा सॉभर झील में नमक उत्पादन का कार्य किया जायेगा। गजट के पैरा नम्बर 07 में भारत सरकार व राजस्थान सरकार दोनों ने श्री वी0टी0 कृष्णामाचारी अवार्ड के निर्णयों को स्वीकार किया और निर्णय के अनुसार आगे बढने का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(32) A6/7

संकल्प किया । इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण झील की भूमि हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड/सॉभर साल्टस लिमिटेड के स्वामित्व की भूमि है।

(7)(4) –यह है कि वर्ष 1983 में स्वयं तहसीलदार नांवा ने भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को अपने पत्र क्रमांक 6266 दिनांक 10.11.83 में स्पष्ट रूप स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 302, 622, 996 व अन्य खसरा नम्बर जो नांवा में स्थित है। जिनका रकबा सॉभर झील में आता है। भारत सरकार द्वारा कम्पनी को स्वामित्व हस्तांतरण किया गया तथा भारत सरकार व राजस्थान सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।

(7)(5) –यह है कि यह कि 1987 में सॉभर झील का सीमाज्ञान किया गया था। सीमाज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार सम्पूर्ण झील का कुल क्षेत्रफल 233.10 वर्गमीटर है।

(7)(6) – यह है कि उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक :व0शा0टीप व 016(90)उद्योग 2/93 पार्ट जयपुर दिनांक 18.10.94 को राजस्व विभाग का स्पष्ट निर्देश दिया था कि उक्त भूमि सॉभर साल्टस लिमिटेड को लीज पर होने की स्थिति में राजकीय सिवायचक कृषि भूमि नहीं है तथा खुदकाश्त के लिए आवंटन के लिए भी उपलब्ध नहीं है तथा अन्य व्यक्ति को किया गया आवंटन रद्द करें।

(7)(7)– यह है कि राजस्व विभाग (3) ने अपने पत्र क्रमांक : 3(24)राज.–3/2 जयपुर दिनांक 27.12.02 व पत्र क्रमांक –8(5)राज.–4/2000 दिनांक 22.11.02 के अनुसार उक्त भूमि को

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(23) A6/8

सॉभर साल्टस लिमिटेड की लवण भूमि मानते हुए आवंटन नहीं करने के निर्देश दिये। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण झील की भूमि हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सॉभर साल्टस लिमिटेड की आधिपत्य व स्वामित्व की भूमि है।

{7}(8)– यह है कि 13.02.1924 को असिस्टेन्ट सेटलमेंट आफिस राज. मारवाड़ ने रजिस्ट्रार महकमा खास जोधपुर के लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त 6620 बीघा भूमि पर साल्ट ऑथरिटी का कब्जा है तथा संवत 1981 की खतौनी मौजा नांवा के अनुसार उक्त भूमि को सम्मलित करते हुए 9043 बीघा 10 बिस्वा भूमि परमठ व समन्द के नाम से दर्ज है जो सॉभर झील की भूमि है। स्थानीय बोलचाल की भाषा में झील को समन्द पुकारते है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि सॉभर झील की भूमि है।

{7}(9)– यह कि वर्ष दिनांक 07.01.1901 को कमिश्नर नोर्थन इण्डिया साल्ट रेवेन्यू आगरा का पत्र जो असिस्टेन्ट कमिश्नर एन0आई0साल्ट रेवेन्यू सॉभर को लिखित पत्र में झील की सीमाज्ञान रिपोर्ट को अंकित किया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/साभॅर साल्टस लिमिटेड की स्वामित्व की भूमि है।

{7}(10)– यह है कि गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सॉभर साल्टस लिमिटेड भारत सरकार व राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी की कम्पनी हे। जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार व 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी निहित है। ऐसी परिस्थिति सॉभर साल्ट लिमिटेड भरत सरकार व राजस्थान सरकार की सयुक्त भागीदारी की कम्पनी है तथा तहसीलदार स्वयं सरकारी कम्पनी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(24) A 6/9

विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट. व अन्य किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है।

(7)(11)– यह है कि रिफाईनरी जो कम्पनी द्वारा भारत सरकार के प्लान फण्ड से बनायी गई है तथा बोर्ड आफ डायरेक्टर की पूर्व अनुमति से बनायी गई है उक्त बोर्ड ऑम्फ डायरेक्टर में कुल पांच सदस्य है। जिनमें दो सदस्य भारत सरकार के दो सदस्य राजस्थान सरकार के है जिसमें एक सदस्य रेवेन्यु सेकेट्ररी व एक सदस्य कमिश्नर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार से है तथा एक सदस्य स्वयं सी0एम0डी0 हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सॉभर साल्टस लिमिटेड के बोर्ड सदस्य है। इससे स्पष्ट है कि उक्त रिफाईनरी बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर की पूर्ण जानकारी व पूर्व अनुमति से उच्चतम गुणवता का शुद्ध नमक बनाने के लिए बनायी गई है। जो राज्य सरकार व भारत सरकार के संकल्प पर बनायी गई है।

(7)12)– यह कि 6620 बीघा भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने माननीय चिफ सेकेट्री राजस्थान सरकार निर्देश दिये है कि वह अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी कठित कर 6620 बीघा भूमि का निस्तारण करें। उक्त वाद आज भी माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के पास लम्बित है। उक्त रीट में राजस्व सैकेट्री खुदकाश्त कमीश्नर, जिला कलेक्टर नागौर एस0डी0एम0 नागौर व अन्य सम्बन्धीत पक्षकार को पक्षकार कायम किया गया है। रीट संख्या SB Civil writ perttition No.6958/2004 है। उक्त समस्त तथ्य तहसीलदार नांवा की जानकारी में होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर केन्द्र व राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी की कम्पनी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करना अनुचित है। जबकि उक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

35 A 6/10

भूमि कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व आधिपत्य की है और विधि पूर्ण अधिकार के तहत उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है जिलसके सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

[7](13)– यह है कि वर्ष 2011 में सम्पूर्ण झील का सीमाज्ञान करवाने हेतु कम्पनी द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी को सीमाज्ञान शुल्क 14,09,240 रूपये जमा करवाये गये हैं जिसकी रसीदे संलग्न है।
[7](14)–यह है कि वर्ष 2017 में सम्पूर्ण झील का सेटलमेन्ट आपरेशन किया जा चुका है, जिसके तहत झील के दो राजस्व ग्राम बनाये गये हैं राजस्व ग्राम सॉभर झील नांवा जिसका खसरा नम्बर (1)रकबा 11013 हैक्टेयर है। राजस्व ग्राम सॉभर झील फुलेरा जिसका खसरा नम्बर (1) रकबा 8539 हैक्टेयर है। उक्त सम्पूर्ण झील का ऐरिया का स्वामित्व व आधिपत्य हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/साभंर साल्टस लिमिटेड का है। सहवन से उक्त भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया गया है। जिसके लिए कम्पनी ने राज्य सरकार को उक्त गलती को दुरूस्त कर सम्पूर्ण भूमि हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/साभॅर साल्टस लिमिटेड के नाम दर्ज करने के लिए अनुरोध किया गया है। जो कि विचाराधीन है।

[8] – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का नावा की रिपोर्ट के अनुसार मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 1782 रकबा 17.00 हैक्टर गै.मु. समन्द की भूमि पर नमक क्यार, व टयूबवैल बनाकर अतिक्रमण करने से अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया है कि जिस भूमि पर उनकी कम्पनी सांभर साल्टस लिमिटेड ने रिफाईनरी का निर्माण किया है उक्त रिफाईनरी को अतिक्रमण मानते हुए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(36) A 6/11

हटाना चाहते है जबकि उक्त सम्पूर्ण झील की भूमि केन्द्र सरकार जरिये हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड की भूमि है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वाणिज्यक एवं उद्योग मत्रालय ने भारत के राष्ट्रपति के निर्णयानुसार दिनांक 13.10.1959 को पत्र जारी कर सम्पूर्ण सांभर झील व नमक कार्य के स्वामित्व व प्रबन्धन को हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड को हस्तान्तरण कर दिया था, तब से हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्ट लिमिटेड का सम्पूर्ण झील का स्वामित्व व प्रबन्धन कम्पनी के पास है तथा नमक उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 1961 में सम्पूर्ण झील के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया कि 99 वर्ष तक केन्द्र सरकार द्वारा सांभर झील में नमक उत्पादन का किया जायेगा। इस गजट के पैरा 7 में भारत सरकार व राजस्थान सरकार दोनों ने श्री वी0टी0 कृष्णामचारी अवार्ड के निर्णयों को स्वीकार किया ओर निर्णय के अनुसार आगे बढने का संकल्प लिया। इससे स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण झील की भूमि हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड के स्वामित्व की भूमि है। वर्ष 1983 में स्वयं तहसीलदार नांवा ने भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर को अपने पत्र क्रमांक 6266 दिनांक 10.11.83 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ख0नं0 302, 622, 996 व अन्य खसरा नम्बर उक्त सांभर झील की भूमि है वर्ष 1987 में सांभर झील का सीमाज्ञान किया गया था जिसके अनुसार सम्पूर्ण झील का कुल क्षेत्रफल 233.11 वर्ग किलामीटर की उद्योग विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक व.शा.टी.सं0 व 016 (90)उद्योग 2/93 पार्ट जयपुर दिनांक 18.10.04 को राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि उक्त भूमि सांभर साल्टस लिमिटेड लीज पर होने की स्थिति में राजकीय सिवायचक कृषि भूमि नहीं है तथा खुद काश्त के लिए आवंटन हेतु भी उपलब्ध नहीं हैं तथा अन्य व्यक्ति को किया गया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(37) A6/12

आवंटन रद करें। राजस्व विभाग (3) ने अपने पत्र कमांक 3(24) राज0 3/02 जयपुर दिनांक 27.12.02 व पत्र कमांक 8(5)राज/4/2000 दिनांक 22.11.02 के अनुसार उक्त भूमि को सांभर साल्ट लिमिटेड की लवण भूमि मानते हुए आंवटन नहीं करने के निर्देश दिये। इससे स्पष्ट है कि सम्पूर्ण झील की भूमि हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्ट लिमिटेट की आधिपत्य व सामित्व की भूमि है।

दिनांक 13.2.1924 के असिटेन्ट सेटलमेंट आफिस राज. मारवाड ने रजिस्ट्रार महकम खास जोधपुर को लिखे पत्र में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त 6620 बीघा भूमि पर साल्ट ऑथरिटी का कब्जा है तथा संवत 1981 की खतौनी मौजा नावां के अनुसार उक्त भूमि को सम्मिलित करते हुए 9043 बीधा 10 बिस्वा भूमि परमठ व समन्द के नाम से दर्ज है जो सांभर झील की भूमि है स्थानीय बोलचाल की भाषा में झील को समन्द पुकारते है। दिनांक 7.1.1901 को कमिश्नर नार्थ इण्डिया साल्ट रेवेन्यू आगरा का पत्र जो असिस्टेन्ट कमिश्नर एन.आर्य. साल्ट रेवेन्यू सांभर को लिखे पत्र में झील का सीमाज्ञान रिपोर्ट को अंकित किया गया है। इससे भी उक्त भूमि सांभर साल्ट लिमिटेड के स्वामित्व की भूमि हे। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार सांभर साल्टस लिमिटेड भारत सरकार व राज्य सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी की कम्पनी है जिसमें 60 प्रतिशत भारत सरकार व 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार की हिस्सेदासरी है रिफाईनरी जो कम्पनी द्वारा भारत सरकार के प्लान फण्ड से बनायी गयी है। उक्त बोर्ड आफॅ डाइरेक्टर में कुल पांच सदस्य है जिनमें दो सदस्य भारत सरकार के व दो सदस्य राजस्थान सरकार के है जिमें एक सदस्य रेवेन्यू सेकट्री व एक सदस्य कमिश्नर उद्योग विभाग राजस्थान सरकार है तथा एक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(38) A 6/13

सदस्य स्वयं सी.एम.डी. हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/ सांभर साल्टस लिमिटेड के बोर्ड सदस्य हैं। इस स्पष्ट है कि उक्त रिफाईनरी बोर्ड आफ डायरेक्टर की पूर्ण जानकारी व पूर्व अनुमति से उच्चतम गुणवक्ता का शुद्ध नमक बनाने के लिए बनाई गयी है जो राज्य व भारत सरकार के संकल्प पर बनाई गयी है।

6620 बीघा भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्याालय जयपुर ने माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को निर्देश दिये है कि वह अपनी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर 6620 बीघा भूमि का निस्तारण करें। उक्त वाद आज भी माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के पास लम्बित है। उक्त रिट में राजस्व सचिव खुदकाश्त कमिश्नर जिला कलक्टर नागौर , एस.डी.एम. नागौर व अन्य सम्बन्धित पक्षकार है। रिट सं0 SB Civil writ perttition No.6958/2004 है। उक्त समस्त तथ्य तहसीलदार नावां की जानकारी में होने के बावजूद जैर कानूनी तोर पर केन्द्र व राज्य सरकार की सयुंक्त भागीदारी की कम्पनी के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही करना अनुचित है। जबकि उक्त भूमि कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व आधिपत्य की है और विधि पूर्ण प्राधिकार के तहत उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। जिसके सम्बन्ध में गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

वर्ष 2011 में सम्पर्ण झील का सीमाज्ञान करवाने हेतु कम्पनी द्वारा भूप्रबन्ध अधिकारी सीमाज्ञान शुल्क 14,09,240.00 रूपये जमा करवाये गये है। वर्ष2017 में सम्पूर्ण झील का सेटलमेन्ट आपरेशन किया जा चुका है जिसके तहत झील के दो राजस्व ग्राम बनाए गए

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(39) A 6/14

है। राजस्व ग्राम सांभर झील नंवा जिसका खसरा नम्बर (1) रकबा 11013 हैक्टर है। राजस्व ग्राम सांभर झील फुलेरा जिसका ख0नं0 (1) रकबा 8539 हैक्टेयर है। उक्त सम्पूर्ण झील के ऐरिया का स्वामित्व व आधिपत्य हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड का है। सहवन से उक्त भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया गया है। जिसके लिए कम्पनी ने राज्य सरकार को उक्त गलती को दुरूस्त कर सम्पूर्ण भूमि हिन्दूस्तान साल्टस लिमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड के नाम दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है जो कि विचाराधीन है। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त तथ्यो व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त सम्पूर्ण भूमि सांभर झील की भूमि है। जो हिनदूस्तान साल्टस लिनमिटेड/सांभर साल्टस लिमिटेड के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है। जिस पर कम्पनी विधि पूर्ण प्राधिकार के तहत कार्य कर रही है तथा तहसीलदार नावां द्वारा कम्पनी के क्यार व रिफाईनरी को हटाने के दिए गए आदेश बिना किसी विधिक अकिार व विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

(9)—पत्रावली व पत्रावली पर पेश दस्तावेजात के अध्ययन से स्पष्ट है कि सांभर साल्टस लिमिटेड द्वारा पेश तथ्यो एवं दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि उक्त रिफाईनरी/कम्पनी भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन से भारत सरकार व राज्य सरकार की हिस्सेदारी में निर्मित हुई है तथा इसमें बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स भी भारत एवं राज्य सरकार के अधिकारी हैं। माननीय उच्च न्यायालय में जैरकार SB Civil writ perttition No.6958/2004 में माननीय मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार को भी उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित कर 6620 बीघा भूमि का निस्तारण करने के आदेश दिए है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2019 में लीज

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

(40) A6/15

की वर्तमान स्थिति एवं लीज होल्डर द्वारा सबलेट करने के अधिकारों एवं अन्य दस्तावेजात की गहन जांच कर उनका विवेचन नहीं किया जाकर साधारणतौर पर निर्णय पारित कर दिया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश के मध्य नजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:::: आदेश ::::

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 25.02.2019 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नावां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सांभर साल्ट लिमिटेड सांभर लेक जिला जयपुर की लीज की वर्तमान स्थिति, लीज होल्डर को सबलेट करने के अधिकार के सम्बन्ध में एवं इसके सम्बन्ध में समस्त दस्तावेजात की गहन जांच करने के उपरोक्त नये सिरे से निर्णय पारित करें। महाप्रबन्धक (कार्य) सांभर साल्ट लिमिटेड, सांभर लेक, जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि आप प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात तहसीलदार नावां के समक्ष पेश करने हेतु दिनांक 29.11.2021 को उपस्थित हो।

रिछपाल सिंह बुरडक
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रिछपाल सिंह बुरडक
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)